ADVERTISEMENTS POLICY

Version	1.0
Version Date	6-Jul-2026
Approved By	Board of Directors
Department In Charge	Compliance
Frequency of Review	Yearly or as and when any update comes change in the Relevant Regulation comes or any change in the Company's internal control or Structure whichever is earlier.

I. INTRODUCTION:

This Policy establishes the minimum standards, processes, and controls for advertising and other communications issued by or on behalf of Agroy Finance and Investment Ltd ("Agroy") that may influence investment or trading decisions. It applies to:

- All public communications in any medium (print, digital, audio, visual, out of home, etc.).
- Internal communications to registered clients that may influence investment/trading decisions.
- Communications issued by employees, authorized persons (APs), business/channel partners, affiliates, influencers/bloggers, or any third party referring to the Company or its services.

Note: "Advertisement" includes (without limitation) documents, pamphlets, circulars, brochures, notices, research reports, websites, blogs, emails, SMS, app notifications, pop ups, podcasts, radio/TV, online videos/streams, social media posts (e.g., Facebook, Instagram, X/Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram), webinars/seminars, signage, billboards, motion pictures, and telephone directories (other than routine listings)..

II. GOVERNANCE & RESPONSIBILITIES:

Board of Directors

- Approves this Policy and any material updates.

Chief Compliance Officer (CCO)

- Owns implementation and ongoing oversight of this Policy.
- Ensures exchange/SEBI circulars are embedded into procedures and checklists.
- Maintains records, logs, and approvals; coordinates with exchanges.

Marketing/Business Teams

- Prepare creatives/briefs with mandatory disclosures.
- Route all materials for compliance review before release.

Authorized Persons / Channel Partners / Employees

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com Mobile: 8448897103

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

- Must follow this Policy and Company-issued social media guidance.
- May not publish any promotional content without the Company's prior written approval.

Vendors/Agencies

- Contractually bound to comply with this Policy; content is subject to Company and exchange approvals.

III. MANDATORY CONTENT IN ADVERTISEMENTS:

Every advertisement/material must include (as applicable):

i. Identification: Company name, logo (if any), complete registered office address, SEBI registration number, exchange memberships and member IDs.
ii. Accuracy & Clarity: Information must be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous, and concise.
iii. Standard Risk Warning: In legible font (minimum 10 pt) – "Investment in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing."

 Audio visual: Display visually and as a voice over; ensure clear audibility/intelligibility. For a 14-word warning, keep it on screen/voice for ≥ 5 seconds. (This also applies to APs/partners/influencers/bloggers.)
iv. Short form Media (SMS/Pop up/Push): If space precludes full details, include the official website link; the landing page must contain all prescribed details.
v. Other Products Mentioned (MFs/IPO/Insurance/Commodities/Bonds/Loans/etc.): Include relevant registration numbers/disclosures. If only distributing, clearly state: "acts only as a distributor; not exchange traded; exchange investor redressal/arbitration not available for distribution activities."
vi. Security Examples: If any specific security is shown, display on the same slide/frame: "The securities are quoted as an example and not as a recommendation." Do not use listed company logos in creatives.
vii. Brokerage Mentions: If prepaid brokerage or rates are referenced, comply with applicable exchange circulars on prepaid schemes and include: "Brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit."

IV. PROHIBITIONS ("SHALL NOT CONTAIN"):

Advertisements must not contain:

- Anything prohibited by law/regulation or that is unwarranted or promising.
- False, misleading, biased, exaggerated, ambiguous, deceptive, or projection-based statements.
- Misleading/deceptive testimonials or any statement (including by omission) that may mislead.
- Statements designed to exploit investors' lack of knowledge/experience or disguise significance.

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com **Mobile: 8448897103**

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

- Slogans superlatives (e.g., best, No.1, among market leaders) unless bestowed by an independent, reputable third party not engaged/paid to assign such ranking; cite source and period.
- Promises/assurances of fixed/guaranteed/indicative returns to any client/prospect.
- References such as BTST/ATST in creatives.
- Discrediting, imitating, or unfairly comparing other brokers/advertisements.
- Exchange name/logo in creatives.
- Other entities' logos without specific written approval.
- Any business or scheme not permitted by SEBI/Exchange rules (e.g., unauthorized PMS/collective investment; indicative/guaranteed returns).

Performance/Activity Representations: If made, they must be backed by data, full risk disclosures, and the disclaimer "such representations are not indicative of future results" in the same font as the rest of the advertisement.

V. "CELEBRITY" APPEARANCES - RESTRICTED:

Celebrities shall not form part of advertisements, including via cartoons/memes/avatars. "Celebrity" means and includes any person who:

- Appears in the top-50 of a reputable, publicly available celebrity index (latest or ≤ 1-year old),
- Has played a lead role in mainstream/popular films/TV/OTT series,
- Is an influencer with > 10 Lakhs followers/subscribers on any single social platform,
- Is/was a national-team sportsperson or has represented a country in major international events (Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, etc.) or popular televised leagues (e.g., IPL),
- Has hosted/anchored notable TV/OTT programs for ≥ 1 season or ≥ 10 episodes,
- Has been winner/runner-up in prominent competitive programs (multi-round),
- Is a virtual (CG) character capable of influencing audience opinions, or
- In the Exchange's view, is capable of influencing viewers of the advertisement.

VI. INCENTIVES/REFERRALS - RESTRICTED:

Members/associates/APs/influencers must not:

- Provide incentives/vouchers/coupons/certificates/tokens, etc., for account opening, trading, reactivation, subscriptions, app downloads, or to compel trading for benefits.
- Promote or incentivize trading via brokerage waivers/cashback/medals/gifts/prizes/coupons/tokens, etc.

(Also, for more details, refer Incentives / referral (broker's) Policy based on all applicable exchange guidelines on incentives/referrals.)

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com **Mobile: 8448897103**

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

VII. SCHEMES, LEAGUES, COMPETITIONS - PROHIBITED:

The Company must not deal in, sponsor, or associate with any scheme/league/competition/quiz/game/lottery/engagement program that involves distribution of money/certificates/medals/gifts/prizes/coupons/tokens or any incentive (monetary or otherwise) that promotes the brand or incentivizes trading/transactions. No reference to Company name/logo may be made in any such activity by third parties. No client data may be shared with such third parties. The Company shall not assume any financial or contingent liability arising from third-party activities.

VIII. ALGORITHMIC TRADING SERVICES/STRATEGIES – ADVERTISING RESTRICTIONS:

The Company (and any associated platform/partner) must not:

- Directly or indirectly reference past performance or expected returns of algorithms in advertisements or public communications (websites, social, digital/print media, etc.).
- Reference past or expected returns during presentations/onboarding/marketing materials, including by APs/vendors/affiliates, except where permitted by regulation.
- Associate with any platform that references past or expected future algorithm performance.

IX. PRIOR EXCHANGE APPROVAL:

Obtain prior exchange approval before publishing:

- Any content on Company website or Company social handles that promotes products/services/brokerage plans, account opening, or brand promotion.
- Any promotional content on third-party social media/pages/channels.
- Employee/associate-posted content or online contests that promote Company products/brand/services or can influence investor decisions.
- Display of awards/ratings received from third parties.
- Mobile app promotion (with/without account opening or product/service info).
- Advertisements by APs/partners/influencers/bloggers (paid or otherwise) that reference the Company.
- Third-party videos/content directing viewers to the Company (e.g., links for account opening). Audio-visual ads must carry both visual and voice-over risk warnings (≥ 17 words) for ≥ 5 seconds. The Company must act if such promotions occur without its knowledge/approval.
- Event/program sponsorships by the Company where products/services/brokerage plans are displayed.
- Joint advertisements with third parties/associates/group entities that include brand promotion.
- Any third-party advertisement carrying Company name/logo/products/services (action required even if without Company knowledge/approval).

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com **Mobile: 8448897103**

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

X. WHAT DOES NOT REQUIRE EXCHANGE APPROVAL:

Following does not require Exchange approval provided, no products/services/brokerage plans, or investment-influencing information is mentioned:

- Festival/event greetings which does not involve any promotional activities.
- Client-only communications via registered email/phone (include: "This information is only for consumption by the client and should not be redistributed.")
- Exclusively non-broking distribution content (e.g., MF/MF-SIP/insurance/research) with clear disclosures as distributor and non-exchange-traded status; include dispute redressal note for distribution.
- Educational/knowledge-sharing content that does not influence investment/sale decisions.
- Previously exchange-approved ads reused without content changes (or only with updated third-party statistics) within 180 days of approval (applies to Company, partners, or employees).
- Third-party ads replicating content from an exchange-approved Company ad (with Company consent) within 180 days of approval.
- Format-only changes (e.g., same content moved from print to social) within 180 days of approval.
- Retail communications limited to market commentary or economic news with no product/service/brokerage mentions or investor-influencing content.
- Press releases with no product/service/brokerage mentions or investor-influencing content.
- Audio & video interviews by members which cannot influence the investment/trading decisions of any investors.
- Sponsorship for TV shows/Talk show and events which does not involve any form of promotional activities and is only limited to sponsorship.
- Public communications inviting applications for franchisees/APs, without any investor-influencing information.
- Sponsorships of TV shows/talks/events without promotional activity (sponsorship acknowledgement only).

XI. APPROVAL WORKFLOW:

As per NSE Circular on Master Circular for Membership Compliance Department (Download Ref No: NSE/COMP/67776) dated April 30, 2025, following need to be followed for approval

1. Apply for Advertisement approval through 'NEW ENIT- COMPLIANCE' module.
2. A maximum number of 5 creatives can be included in one advertisement for approval.
3. Copy of the complete advertisement including contents provided in the link shall be submitted in the form of pdf (videos to be provided either through email/CDs/Pen drives, any other acceptable mode) to the Exchange at least seven working days in advance before issuing the advertisement.
4. Certain undertakings to be provided as under:

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com **Mobile: 8448897103**

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

- An undertaking needs to be provided as per the format provided in the Exhibit E - Undertaking (of the said Circular) confirming compliance with the code of advertisement.
- An undertaking to be provided as per the format prescribed in the Exhibit F - Artist Undertaking (of the said Circular) while submitting the draft content/script/advertisement that has individuals forming a part of it, to the Exchange for approval.
- An undertaking as per format provided in Exhibit G - Undertaking (of the said Circular) for Options trading while submitting the draft content/script/advertisement that has references for trading in options.
- In case a creative is issued in more than one language, then an Undertaking need to be provided that the same is verbatim to the one issued in Hindi / English

XII. RECORDS AND RETENTION:

• Maintain all versions, approvals, data sources, vendor approvals, media plans, screenshots, and publication logs for minimum period of 5 years (or as prescribed by regulation, whichever is longer).
• Keep a centralized Advertising Register with status (Draft/Submitted/Approved/Rejected/Published/Withdrawn), dates, channels, geographies, budgets, and owners.

XIII. MONITORING, INCIDENTS & TAKEDOWN:

• The Company will conduct periodic surveillance of public platforms for unauthorized or non-compliant use of its name/logo. • Immediate Takedown: If content is found non-compliant or rejected by an exchange, initiate takedown within 24 hours (or sooner if required) and document actions. • Third-Party Misuse: Send cease-and-desist; notify the exchange if investor harm risk exists; consider public clarifications where necessary.

XIV. ENFORCEMENT & PENALTIES:

• Exchanges may levy monetary penalties per instance of unapproved advertisement and impose restrictions, including suspension of onboarding new clients or temporary withdrawal of trading rights for repeated violations, in line with exchange circulars. • Internally, violations may lead to disciplinary action up to and including termination of contracts with employees/APs/partners/agencies.

XV. TRAINING & ATTESTATIONS:

• Induction & Annual Training for employees/APs/partners/influencers on this Policy and advertising standards. • Annual Attestation from content-creating teams and APs/partners/influencers that they understand and will adhere to this Policy.

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com **Mobile: 8448897103**

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

XVI. CLARIFICATION / INFORMATION:

In case of any clarification/information required on the implementation of the Policy, please contact the Compliance Officer on Email -compliance@agroy.com, Tel No.8448897100.

XVII. REVIEW:

This policy shall come into effect from the date of approval of the Board of Directors of the company for its implementation and the same shall be reviewed and assessed annually by the company management.

AGROY - CONFIDENTIAL

Grievances: customercare@agroy.com
Compliance Officer: Ashish Kumar Gupta
Email: ashish.gupta@agroy.com **Mobile: 8448897103**

AGROY Finance and Investment Ltd.
SEBI Reg.No.: NSE/BSE INZ000185530
CDSL: IN-DP-513-2020 (DP ID 12060700)
Regd. Office: A-21 Kailash Colony, New Delhi 110048
Tel: +918448897100 / 101 / 102

विज्ञापन नीति

संस्करण	1.0
संस्करण की तिथि	6-जुलाई-2026
अनुमोदनकर्ता	निदेशक मंडल
प्रभारी विभाग	अनुपालन
समीक्षा की आवृत्ति	वार्षिक, अथवा संबंधित विनियमों में कोई अद्यतन/संशोधन होने पर या कंपनी की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था अथवा संरचना में कोई बदलाव होने पर—इनमें से जो भी पहले हो।

I. परिचय:

यह नीति एग्रॉय फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ("एग्रॉय") द्वारा या उसकी ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों और अन्य संचारों के लिए न्यूनतम मानक, प्रक्रियाएँ और नियंत्रण उपाय निर्धारित करती है, जो निवेश या कारोबार संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। यह नीति निम्नलिखित पर लागू होती है::

- किसी भी माध्यम से जनता के लिए जारी किए जाने वाले सभी संचार, जैसे मुद्रित सामग्री, डिजिटल माध्यम, ध्वनि, दृश्य सामग्री, बाहरी विज्ञापन आदि।
- पंजीकृत ग्राहकों को भेजे जाने वाले ऐसे आंतरिक संचार, जो निवेश या कारोबार संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
- कर्मचारियों, प्राधिकृत व्यक्तियों, व्यावसायिक या वितरण सहयोगियों, संबद्ध संस्थाओं, प्रभावशाली व्यक्तियों, ब्लॉग लेखकों या कंपनी अथवा उसकी सेवाओं का उल्लेख करने वाले किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा जारी किए जाने वाले संचार।

नोट: "विज्ञापन" में बिना किसी सीमा के, दस्तावेज़, पर्चे, परिपत्र, विवरणिका, सूचनाएँ, शोध रिपोर्टें, वेबसाइटें, ब्लॉग, ईमेल, लघु संदेश (एसएमएस), अनुप्रयोग संबंधी सूचनाएँ, पॉप-अप संदेश, श्रव्य कार्यक्रम, रेडियो/टेलीविज़न प्रसारण, ऑनलाइन वीडियो/सीधा प्रसारण, सामाजिक माध्यमों पर पोस्ट (जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स/ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम), वेबिनार/संगोष्ठियाँ, संकेत-पट्ट, विज्ञापन-पट्ट, चलचित्र और टेलीफ़ोन निर्देशिकाएँ शामिल हैं। हालाँकि, नियमित सूची प्रविष्टियाँ इसमें शामिल नहीं हैं।

II. <u>शासन एवं उत्तरदायित्व:</u>

निदेशक मंडल

- इस नीति तथा इसमें किए जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण संशोधन को अनुमोदित करता है।

मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ)

- इस नीति के कार्यान्वयन और निरंतर निगरानी की जिम्मेदारी संभालता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक एक्सचेंजों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों को प्रक्रियाओं और जाँच-सूचियों में शामिल किया जाए।
- अभिलेखों, लॉग और अनुमोदनों का रखरखाव करता है तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समन्वय करता है।

विपणन एवं व्यावसायिक टीमें

- अनिवार्य प्रकटीकरणों के साथ विज्ञापन सामग्री और संक्षिप्त विवरण तैयार करती हैं।

- जारी करने से पहले सभी सामग्रियों को अनुपालन समीक्षा के लिए भेजती हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति / वितरण सहयोगी / कर्मचारी

- इस नीति और कंपनी द्वारा जारी सामाजिक माध्यम संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रचार सामग्री को प्रकाशित नहीं कर सकते।

विक्रेता / एजेंसियाँ

- अनुबंध के तहत इस नीति का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी तैयार की गई सामग्री कंपनी और संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के अनुमोदन के अधीन होगी।.

III. <u>विज्ञापनों में अनिवार्य रूप से शामिल की जाने वाली जानकारी:</u>

प्रत्येक विज्ञापन/सामग्री में, जहाँ लागू हो, निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

i. पहचान संबंधी विवरण: कंपनी का नाम, प्रतीक-चिह्न (यदि हो), पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता, सेबी पंजीकरण संख्या, स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता का विवरण और सदस्य पहचान संख्याएँ।

ii. सटीकता एवं स्पष्टता: जानकारी सटीक, सत्य, निष्पक्ष, स्पष्ट, पूर्ण, असंदिग्ध और संक्षिप्त होनी चाहिए।

iii. जोखिम संबंधी मानक चेतावनी: स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकने वाले अक्षरों में (न्यूनतम 10 पॉइंट आकार में) निम्नलिखित चेतावनी दी जानी चाहिए:

"प्रतिभूति बाज़ार में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले इससे संबंधित सभी दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक पढ़ें।"

श्रव्य-दृश्य सामग्री: चेतावनी को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के साथ-साथ आवाज़ में भी सुनाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि चेतावनी स्पष्ट रूप से सुनाई दे और आसानी से समझ में आए। 14 शब्दों की चेतावनी को कम-से-कम 5 सेकंड तक पर्दे पर दिखाया और आवाज़ में सुनाया जाना चाहिए। यह आवश्यकता प्राधिकृत व्यक्तियों, सहयोगियों, प्रभावशाली व्यक्तियों और ब्लॉग लेखकों पर भी लागू होती है।

iv. संक्षिप्त माध्यम (लघु संदेश/पॉप-अप/पुश सूचना): यदि स्थान की कमी के कारण पूरी जानकारी देना संभव न हो, तो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक शामिल किया जाए। लिंक से खुलने वाले पृष्ठ पर सभी निर्धारित विवरण उपलब्ध होने चाहिए।

v. अन्य उल्लिखित उत्पाद (म्यूचुअल फंड/आईपीओ/बीमा/वस्तुएँ/बॉण्ड/ऋण आदि): संबंधित पंजीकरण संख्याएँ और आवश्यक प्रकटीकरण शामिल किए जाएँ। यदि कंपनी केवल वितरण का कार्य कर रही हो, तो स्पष्ट रूप से यह बताया जाए:

"कंपनी केवल वितरक के रूप में कार्य करती है। संबंधित उत्पाद का स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं होता और वितरण संबंधी गतिविधियों के लिए स्टॉक एक्सचेंज की निवेशक शिकायत निवारण अथवा मध्यस्थता सुविधा उपलब्ध नहीं है।"

vi. प्रतिभूतियों के उदाहरण: यदि किसी विशिष्ट प्रतिभूति का उल्लेख किया जाता है, तो उसी स्लाइड/दृश्य-फलक पर निम्नलिखित कथन प्रदर्शित किया जाए:

"प्रतिभूतियों का उल्लेख केवल उदाहरण के रूप में किया गया है, निवेश की सिफारिश के रूप में नहीं।"

विज्ञापन सामग्री में सूचीबद्ध कंपनियों के प्रतीक-चिह्नों का उपयोग न किया जाए।

vii. ब्रोकरेज का उल्लेख: यदि अग्रिम ब्रोकरेज या ब्रोकरेज दरों का उल्लेख किया जाता है, तो अग्रिम भुगतान वाली योजनाओं से संबंधित लागू स्टॉक एक्सचेंज परिपत्रों का पालन किया जाए और निम्नलिखित कथन शामिल किया जाए:

"ब्रोकरेज सेबी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।""

IV. <u>निषेध (विज्ञापन में निम्नलिखित सामग्री नहीं होनी चाहिए):</u>

विज्ञापनों में निम्नलिखित सामग्री नहीं होनी चाहिए:

- ऐसी कोई भी सामग्री जो कानून या विनियमों के तहत निषिद्ध हो अथवा जिसमें अनुचित दावे या वादे किए गए हों।
- झूठे, भ्रामक, पक्षपातपूर्ण, बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए, अस्पष्ट, छलपूर्ण या अनुमानों पर आधारित कथन।
- भ्रामक या छलपूर्ण प्रशंसापत्र अथवा ऐसा कोई भी कथन, जिसमें जानकारी छिपाने के कारण भी लोगों को गुमराह करने की संभावना हो।
- ऐसे कथन जो निवेशकों की जानकारी या अनुभव की कमी का अनुचित लाभ उठाने अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य की वास्तविक महत्ता को छिपाने के उद्देश्य से दिए गए हों।
- श्रेष्ठता दर्शाने वाले नारे या दावे, जैसे "सर्वश्रेष्ठ", "नंबर 1" या "बाज़ार के अग्रणी संस्थानों में से एक", जब तक कि ऐसी रैंकिंग किसी स्वतंत्र और प्रतिष्ठित तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान न की गई हो, जो रैंकिंग देने के लिए न तो संबंधित संस्था से जुड़ा हो और न ही उसे भुगतान किया गया हो। ऐसे दावों के साथ स्रोत और संबंधित अवधि का उल्लेख करना अनिवार्य है।
- किसी भी ग्राहक या संभावित ग्राहक को निश्चित, गारंटीकृत या संकेतात्मक प्रतिफल देने का वादा या आश्वासन।
- विज्ञापन सामग्री में बीटीएसटी/एटीएसटी जैसे संदर्भ।
- अन्य शेयर दलालों या उनके विज्ञापनों की छवि धूमिल करने, उनकी नकल करने अथवा उनके साथ अनुचित तुलना करने वाली सामग्री।
- विज्ञापन सामग्री में स्टॉक एक्सचेंज का नाम या प्रतीक-चिह्न।
- अन्य संस्थाओं के प्रतीक-चिह्न, जब तक कि उनके उपयोग के लिए विशिष्ट लिखित अनुमति प्राप्त न हो।
- ऐसा कोई भी व्यवसाय या योजना, जिसकी सेबी या स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के तहत अनुमति न हो; उदाहरण के लिए, अनधिकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस), सामूहिक निवेश योजनाएँ तथा संकेतात्मक या गारंटीकृत प्रतिफल के दावे।

निष्पादन/गतिविधि संबंधी दावे: यदि ऐसे दावे किए जाते हैं, तो उनके समर्थन में आँकड़े और जोखिमों का पूरा खुलासा होना चाहिए। साथ ही, विज्ञापन में अन्य सामग्री के समान ही अक्षर-आकार में यह अस्वीकरण भी दिया जाना चाहिए: "ऐसे दावे भविष्य के परिणामों के संकेतक नहीं हैं।"

V. <u>"प्रसिद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति — प्रतिबंधित":</u>

विज्ञापनों में प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें कार्टून, मीम या अवतार के माध्यम से उनका चित्रण करना भी शामिल है। "प्रसिद्ध व्यक्ति" से आशय ऐसे किसी भी व्यक्ति से है, जो:

- किसी प्रतिष्ठित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूची में शीर्ष 50 में शामिल हो (सूची नवीनतम हो या एक वर्ष से अधिक पुरानी न हो);
- मुख्यधारा की लोकप्रिय फ़िल्मों, टेलीविज़न कार्यक्रमों या ओटीटी धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभा चुका हो;
- किसी एक सोशल मीडिया मंच पर उसके 10 लाख से अधिक अनुयायी या सदस्य हों;

- राष्ट्रीय खेल टीम का खिलाड़ी हो या रहा हो, अथवा ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल जैसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं या आईपीएल जैसी लोकप्रिय प्रसारित खेल लीगों में किसी देश का प्रतिनिधित्व कर चुका हो;
- कम-से-कम एक सत्र या 10 कड़ियों तक किसी उल्लेखनीय टेलीविज़न या ओटीटी कार्यक्रम का संचालन या प्रस्तुतीकरण कर चुका हो;
- कई चरणों में आयोजित होने वाले किसी प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम में विजेता या उपविजेता रहा हो;
- ऐसा आभासी (कंप्यूटर-निर्मित) पात्र हो, जो दर्शकों की राय को प्रभावित करने में सक्षम हो; या
- एक्सचेंज की राय में, विज्ञापन देखने वाले दर्शकों को प्रभावित करने में सक्षम हो।

VI. <u>प्रोत्साहन/सिफ़ारिशें — प्रतिबंधित:</u>

सदस्यों/सहयोगियों/अधिकृत व्यक्तियों (एपी)/प्रभावशाली व्यक्तियों को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए:

- खाता खोलने, कारोबार करने, खाते को फिर से सक्रिय करने, सदस्यता लेने, अनुप्रयोग डाउनलोड करने या लाभ प्राप्त करने के लिए कारोबार करने हेतु बाध्य करने के उद्देश्य से कोई प्रोत्साहन, वाउचर, कूपन, प्रमाणपत्र, टोकन आदि प्रदान नहीं करना चाहिए।
- दलाली शुल्क में छूट, नकद वापसी, पदक, उपहार, पुरस्कार, कूपन, टोकन आदि के माध्यम से कारोबार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए या कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

(प्रोत्साहन और सिफ़ारिशों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, प्रोत्साहन और सिफ़ारिशों पर लागू एक्सचेंज के सभी दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई दलाल की प्रोत्साहन/सिफ़ारिश नीति देखें।)

VII. <u>योजनाएँ, लीग और प्रतियोगिताएँ — प्रतिबंधित:</u>

कंपनी ऐसी किसी भी योजना, लीग, प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, खेल, लॉटरी या सहभागिता कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी, उसे प्रायोजित नहीं करेगी और न ही उससे किसी प्रकार का संबंध रखेगी, जिसमें धनराशि, प्रमाणपत्र, पदक, उपहार, पुरस्कार, कूपन, टोकन या किसी भी प्रकार का अन्य प्रोत्साहन (धनराशि के रूप में या अन्य किसी रूप में) वितरित किया जाता हो और जिसका उद्देश्य ब्रांड का प्रचार करना या कारोबार/लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करना हो। तृतीय पक्षों द्वारा आयोजित ऐसी किसी भी गतिविधि में कंपनी के नाम या प्रतीक-चिह्न का उल्लेख नहीं किया जा सकता। ग्राहकों का कोई भी आँकड़ा या जानकारी ऐसे तृतीय पक्षों के साथ साझा नहीं की जा सकती। तृतीय पक्षों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय देनदारी या आकस्मिक देनदारी का उत्तरदायित्व कंपनी नहीं लेगी।

VIII. <u>एल्गोरिदम-आधारित कारोबार सेवाएँ/रणनीतियाँ — विज्ञापन संबंधी प्रतिबंध:</u>

कंपनी और उससे जुड़े किसी भी मंच/साझेदार को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए:

- विज्ञापनों या सार्वजनिक संचार माध्यमों, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटल या मुद्रित माध्यमों आदि में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कलन-विधियों के पिछले प्रदर्शन या उनसे अपेक्षित प्रतिफल का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

- प्रस्तुतियों, नए ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया या विपणन सामग्री में कलन-विधियों के पिछले या अपेक्षित प्रतिफल का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह प्रतिबंध अधिकृत व्यक्तियों (एपी), विक्रेताओं और सहयोगी संस्थाओं पर भी लागू होता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ विनियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति हो।
- ऐसे किसी भी मंच से संबंध नहीं रखना चाहिए, जो कलन-विधियों के पिछले प्रदर्शन या उनसे भविष्य में अपेक्षित प्रतिफल का उल्लेख करता हो।

IX. एक्सचेंज से पूर्व अनुमति:

प्रकाशित करने से पहले एक्सचेंज की पूर्व अनुमति प्राप्त करें:

- कंपनी की वेबसाइट या कंपनी के सोशल मीडिया खातों पर ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से पहले, जो उत्पादों/सेवाओं/दलाली योजनाओं, खाता खोलने या ब्रांड के प्रचार को बढ़ावा देती हो।
- तृतीय पक्षों के सोशल मीडिया मंचों, पृष्ठों या चैनलों पर कोई भी प्रचार सामग्री प्रकाशित करने से पहले।
- कर्मचारियों या सहयोगियों द्वारा प्रकाशित ऐसी सामग्री या आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के लिए, जो कंपनी के उत्पादों/ब्रांड/सेवाओं का प्रचार करती हों या निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हों।
- तृतीय पक्षों से प्राप्त पुरस्कारों या रेटिंग का प्रदर्शन करने से पहले।
- मोबाइल अनुप्रयोग के प्रचार से पहले, चाहे उसमें खाता खोलने या उत्पादों/सेवाओं की जानकारी शामिल हो या नहीं।
- अधिकृत व्यक्तियों (एपी), साझेदारों, प्रभावशाली व्यक्तियों या ब्लॉग लेखकों द्वारा कंपनी का उल्लेख करने वाले विज्ञापनों के लिए, चाहे वे भुगतान के आधार पर हों या बिना भुगतान के।
- तृतीय पक्षों के ऐसे वीडियो या सामग्री के लिए, जो दर्शकों को कंपनी की ओर निर्देशित करते हों, जैसे खाता खोलने के लिए दिए गए संपर्क सूत्र। दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों में कम-से-कम 17 शब्दों वाली जोखिम संबंधी चेतावनी दृश्य रूप में और ध्वनि के माध्यम से, दोनों तरीकों से कम-से-कम 5 सेकंड तक प्रदर्शित की जानी चाहिए। यदि ऐसा प्रचार कंपनी की जानकारी या अनुमति के बिना किया जाता है, तो कंपनी को आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
- कंपनी द्वारा ऐसे आयोजनों या कार्यक्रमों को प्रायोजित करने से पहले, जिनमें उत्पादों/सेवाओं/दलाली योजनाओं का प्रदर्शन किया जाता हो।
- तृतीय पक्षों, सहयोगियों या समूह की अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले, यदि उनमें ब्रांड का प्रचार शामिल हो।
- तृतीय पक्षों के ऐसे किसी भी विज्ञापन के मामले में, जिसमें कंपनी का नाम/प्रतीक-चिह्न/उत्पाद/सेवाएँ शामिल हों। ऐसे मामलों में कार्रवाई करना आवश्यक है, भले ही विज्ञापन कंपनी की जानकारी या अनुमति के बिना प्रकाशित किया गया हो।

X. किसके लिए एक्सचेंज की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है:

बशर्ते कि उत्पादों/सेवाओं/दलाली योजनाओं या निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाली किसी भी जानकारी का उल्लेख न हो, निम्नलिखित मामलों में एक्सचेंज की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है:

- त्योहारों या आयोजनों की शुभकामनाएँ, जिनमें किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधि शामिल न हो।

- केवल ग्राहकों के लिए पंजीकृत ईमेल या फ़ोन के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश (इनमें यह उल्लेख शामिल होना चाहिए: "यह जानकारी केवल ग्राहक के उपयोग के लिए है और इसे आगे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।")
- केवल गैर-दलाली वितरण सेवाओं से संबंधित सामग्री, जैसे म्यूचुअल फंड (एमएफ)/म्यूचुअल फंड व्यवस्थित निवेश योजना (एमएफ-एसआईपी)/बीमा/शोध, जिसमें वितरक के रूप में अपनी भूमिका और एक्सचेंज पर कारोबार न किए जाने की स्थिति का स्पष्ट खुलासा किया गया हो। वितरण सेवाओं से संबंधित विवादों के निवारण का उल्लेख भी शामिल होना चाहिए।
- शैक्षिक या ज्ञान-साझाकरण संबंधी सामग्री, जो निवेश या बिक्री संबंधी निर्णयों को प्रभावित न करती हो।
- एक्सचेंज से पहले ही अनुमोदित ऐसे विज्ञापनों का दोबारा उपयोग, जिनकी सामग्री में कोई बदलाव न किया गया हो या जिनमें केवल तृतीय पक्षों के अद्यतन आँकड़े शामिल किए गए हों, बशर्ते अनुमोदन के 180 दिनों के भीतर उनका पुनः उपयोग किया जाए। यह प्रावधान कंपनी, उसके साझेदारों या कर्मचारियों पर लागू होता है।
- कंपनी के एक्सचेंज-अनुमोदित विज्ञापन की सामग्री को दोहराने वाले तृतीय पक्षों के विज्ञापन, बशर्ते कंपनी की सहमति हो और अनुमोदन के 180 दिनों के भीतर उनका उपयोग किया जाए।
- केवल प्रारूप में किए गए बदलाव, जैसे समान सामग्री को मुद्रित माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना, बशर्ते ऐसा अनुमोदन के 180 दिनों के भीतर किया जाए।
- खुदरा ग्राहकों के लिए ऐसे संदेश, जो केवल बाज़ार संबंधी टिप्पणियों या आर्थिक समाचारों तक सीमित हों और जिनमें उत्पादों/सेवाओं/दलाली का उल्लेख या निवेशकों को प्रभावित करने वाली सामग्री न हो।
- ऐसी प्रेस विज्ञप्तियाँ, जिनमें उत्पादों/सेवाओं/दलाली का उल्लेख या निवेशकों को प्रभावित करने वाली सामग्री न हो।
- सदस्यों द्वारा दिए गए ऐसे श्रव्य एवं दृश्य साक्षात्कार, जो किसी भी निवेशक के निवेश या कारोबार संबंधी निर्णयों को प्रभावित न कर सकते हों।
- टेलीविज़न कार्यक्रमों, परिचर्चा कार्यक्रमों और आयोजनों को प्रायोजित करना, जहाँ किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधि शामिल न हो और गतिविधि केवल प्रायोजन तक सीमित हो।
- फ्रेंचाइज़ी या अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचनाएँ, जिनमें निवेशकों को प्रभावित करने वाली कोई जानकारी न हो।
- टेलीविज़न कार्यक्रमों, परिचर्चाओं या आयोजनों का ऐसा प्रायोजन, जिसमें कोई प्रचार गतिविधि न हो और केवल प्रायोजन का उल्लेख किया गया हो।

XI. <u>अनुमोदन की प्रक्रिया:</u>

एनएसई के दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के सदस्यता अनुपालन विभाग संबंधी मास्टर परिपत्र (डाउनलोड संदर्भ संख्या: NSE/COMP/67776) के अनुसार, अनुमोदन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है:

1. विज्ञापन के अनुमोदन के लिए 'NEW ENIT- COMPLIANCE' मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन करें।
2. अनुमोदन हेतु एक विज्ञापन आवेदन में अधिकतम 5 रचनात्मक प्रारूप (क्रिएटिव) शामिल किए जा सकते हैं।
3. लिंक में उपलब्ध सामग्री सहित संपूर्ण विज्ञापन की प्रति पीडीएफ़ प्रारूप में एक्सचेंज को प्रस्तुत की जानी चाहिए। वीडियो ईमेल/सीडी/पेन ड्राइव या किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। विज्ञापन जारी करने से कम-से-कम सात कार्यदिवस पहले इसे एक्सचेंज को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. निम्नलिखित घोषणापत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

- विज्ञापन संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, उक्त परिपत्र के प्रदर्श E – घोषणापत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार घोषणापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- एक्सचेंज से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रारूपित पाठ/पटकथा/विज्ञापन को प्रस्तुत करते समय, जिसमें कोई व्यक्ति शामिल हो, उक्त परिपत्र के प्रदर्श F – कलाकार संबंधी घोषणापत्र में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ऐसे प्रारूपित पाठ/पटकथा/विज्ञापन को प्रस्तुत करते समय, जिसमें विकल्प कारोबार का उल्लेख हो, उक्त परिपत्र के प्रदर्श G – घोषणापत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार घोषणापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- यदि किसी रचनात्मक सामग्री को एक से अधिक भाषाओं में जारी किया जाता है, तो यह पुष्टि करते हुए घोषणापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि अन्य भाषाओं में जारी सामग्री हिंदी/अंग्रेज़ी में जारी सामग्री का शब्दशः समान रूपांतरण है।

XII. अभिलेखों का रखरखाव और संरक्षण:

- विज्ञापन के सभी संस्करणों, अनुमोदनों, आँकड़ों के स्रोतों, विक्रेता अनुमोदनों, मीडिया योजनाओं, स्क्रीनशॉट और प्रकाशन अभिलेखों को कम-से-कम 5 वर्षों तक सुरक्षित रखें। यदि विनियमों में इससे अधिक अवधि निर्धारित हो, तो उस अवधि का पालन करें।

- एक केंद्रीकृत विज्ञापन रजिस्टर बनाए रखें, जिसमें स्थिति (प्रारूपित/प्रस्तुत/अनुमोदित/अस्वीकृत/प्रकाशित/वापस लिया गया), तिथियाँ, माध्यम, भौगोलिक क्षेत्र, बजट और उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण दर्ज हो।

XIII. निगरानी, घटनाएँ और सामग्री हटाने की प्रक्रिया:

- कंपनी अपने नाम/प्रतीक-चिह्न के अनधिकृत या नियमों के अनुरूप न होने वाले उपयोग की पहचान करने के लिए सार्वजनिक मंचों की समय-समय पर निगरानी करेगी।
- तत्काल सामग्री हटाना: यदि कोई सामग्री नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती है या एक्सचेंज द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो 24 घंटे के भीतर (या आवश्यकता होने पर उससे पहले) उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू करें और की गई कार्रवाई का अभिलेख रखें।
- तृतीय पक्ष द्वारा दुरुपयोग: संबंधित पक्ष को ऐसी गतिविधि तत्काल बंद करने का औपचारिक नोटिस भेजें। यदि निवेशकों को नुकसान पहुँचने का जोखिम हो, तो एक्सचेंज को सूचित करें। आवश्यकता होने पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करने पर भी विचार करें।

XIV. नियमों का प्रवर्तन और दंड:

- एक्सचेंज के परिपत्रों के अनुसार, प्रत्येक अननुमोदित विज्ञापन के लिए एक्सचेंज मौद्रिक दंड लगा सकते हैं। बार-बार उल्लंघन किए जाने पर वे प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, जिनमें नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाना या कारोबार करने के अधिकारों को अस्थायी रूप से वापस लेना शामिल है।

- आंतरिक स्तर पर, उल्लंघनों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कर्मचारियों/अधिकृत व्यक्तियों (एपी)/साझेदारों/एजेंसियों के साथ अनुबंध समाप्त करना भी शामिल है।

XV. <u>प्रशिक्षण और अनुपालन संबंधी घोषणाएँ:</u>

- कर्मचारियों/अधिकृत व्यक्तियों (एपी)/साझेदारों/प्रभावशाली व्यक्तियों को इस नीति और विज्ञापन संबंधी मानकों पर कार्यभार ग्रहण करते समय प्रारंभिक प्रशिक्षण तथा प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- सामग्री तैयार करने वाली टीमों और अधिकृत व्यक्तियों (एपी)/साझेदारों/प्रभावशाली व्यक्तियों से प्रतिवर्ष यह लिखित घोषणा प्राप्त की जाएगी कि वे इस नीति को समझते हैं और इसका पालन करेंगे।

XVI. <u>स्पष्टीकरण / जानकारी:</u>

इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, कृपया अनुपालन अधिकारी से ईमेल compliance@agroy.com या दूरभाष संख्या 8448897100 पर संपर्क करें।

XVII. <u>समीक्षा:</u>

यह नीति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगी। कंपनी का प्रबंधन इस नीति की प्रतिवर्ष समीक्षा और आकलन करेगा।